क्रम-संख्या–159 (क–1)

रजिस्ट्रेशननम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बुधवार, 24 सितम्बर, 2025

आश्विन 2, 1947 शक सम्वत्

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN,
ASHOKA ROAD,
NEW DELHI-110001
24th September, 2025,
Dated:————————.
02 Asvina, 1947*(Saka),*

NOTIFICATION

No. 429/UP/2023(1) :– In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13C of the Representation of People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission hereby makes following amendments in its Notification no. 429/UP/2023(1), dated 20th October, 2023 as amended from time to time, relating to appointment of Assistant Electoral Registration Officers for Assembly Constituencies in the State of Uttar Pradesh, namely :-

In column (2) of the Table appended to the said notification, the existing entry against the Assembly Constituencies mentioned below shall be substituted with the following corresponding entries:–

TABLE

Sl. No. & Name of Assembly Constituency	**Assistant Electoral Registration Officer**
1	**2**
232- Tindwari	2. Nayab Tehsildar, Banda
235- Banda	2. Nayab Tehsildar, Atarra
	3. Nayab Tehsildar, Naraini

By order,
AJAY KUMAR VERMA,
Secretary,
Election Commission of India.

————

By order,
CHANDRA SHEKHER,
Special Secretary, Election.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड,
नई दिल्ली–110001
दिनांकः 24 सितम्बर, 2025
02 आश्विन, 1947 (शक)

अधिसूचना

सं० 429/उ0प्र0/2023(1) :–लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13ग की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति से सम्बन्धित समय–समय पर यथासंशोधित अपनी अधिसूचना संख्या 429/उ0प्र0/2023 (1), दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामतः–

उक्त अधिसूचना की संलग्न सारणी के स्तम्भ (2) में, नीचे दिये गये विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के सामने विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित तदनुरूप प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगीः–

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
1	2
232–तिन्दवारी	2–नायब तहसीलदार, बांदा
235–बांदा	2–नायब तहसीलदार, अतर्रा
	3–नायब तहसीलदार, नरैनी

आदेश से,
अजय कुमार वर्मा,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
चन्द्रशेखर,
विशेष सचिव, निर्वाचन।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 200 राजपत्र–2025–(608)–588+10 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।